

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि / सम्बद्धता / 2024 / 1154
दिनांक : 23.04.24

सेवा में,

प्रबन्धक,
के०पी० सिंह विधि महाविद्यालय,
मकरा, लहंगपुर, जौनपुर।

विषय:—नवगठित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 21.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि के०पी० सिंह विधि महाविद्यालय, मकरा, लहंगपुर, जौनपुर की दिनांक 25.02.2024 को नवगठित प्रबन्ध समिति को विधि महाविद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार पाँच वर्ष हेतु (दिनांक 25.02.2024 से 24.02.2029 तक), कुलपति जी ने विचारोपरान्त उपलब्ध करायें गये अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने की कृपा की है -

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद नाम
1	श्री दीपक राय	पुत्र श्री धर्मदेव राय	ग्राम व पोस्ट-बेलऊँ, जनपद-आजमगढ़	अध्यक्ष
2	श्री विपिन कुमार सिंह	पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	ग्राम-मकरा, पोस्ट-लहंगपुर, जनपद-जौनपुर	प्रबन्धक
3	श्री गौरव कुमार राय	पुत्र श्री सुबाष राय	ग्राम-मेहौड़ा, पोस्ट - मुरारा, जौनपुर।	कोषाध्यक्ष
4	डॉ० जितेन्द्र राय	पुत्र स्व० सर्वदेव राय	ग्राम व पोस्ट-बेलऊँ, जनपद-आजमगढ़	सदस्य
5	श्री सव्यसांची राय	पुत्र श्री ब्रह्मदेव नारायण राय	ग्राम व पोस्ट-बेलऊँ, जनपद-आजमगढ़	सदस्य

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय,

कुलसचिव